मलीय कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा

सेप्टिक टैंक में जमा होने वाला कचरा है जो कच्चा या आंशिक रूप से विघटित्त मिश्रण होता है जिसमें ज्यादातर मल और पानी होता है। मलीय कचरा प्रबंधन में सुरक्षित तरीके से ऑन–साइट सैनिटेशन सिस्टम से मलीय कचरे का संग्रहण, बुलाई, शोधन और निपटान शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, घरो में ऑन–साइट सफाई प्रणाली और मुख्य रूप से दो गढ्ढ़े वाले शौचालय जिनसे कोई मलीय कचरा उत्पन्न नहीं होता है, पर ज्यादा उपयोगी और विश्वसनीय है। तथापि, कुछेक घरों में विशेष रूप से घनी आबादी वाले या बड़े पेरी–अर्बन घरों में सेप्टिक टैंक या एकल गड्ढे वाले शौचालय होते हैं। सेप्टिक टैंक और एक्कल गड्ढे, उत्पन्न होने वाले ब्लैक वाटर का आंशिक रूप से शोधन करते है और इसलिए इनसे मलीय कवरा निकालने और उसके सुरक्षित तरीके से उपचारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ इलाकों में सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढे वाले शौचालयों से बरताती पानी की नालियों या रास्तों में ओवरफ्लो होता रहता है। इसके अतिरिक्त, घर के ग्रे वॉटर को भी बाहर या आस–पास बहने वाली उसी नाली में बहा दिया जाता है। ऐसी नालियां अंततः जल निकायों में आकर मिलती है और उन्हें प्रदुषित करती है।

सेप्टिक टैंक से बहने वाला ब्लैक वाटर, एकल पिट से बहने वाला ब्लैक वाटर हमें मलीय कचरा और इसके शोधन की योजना क्यों बनानी चाहिए?

सेप्टिक टैंक मलीय तारे का शोधन नहीं करते, एकल गड्ढे में मलीय कवारा का शोशन करने के लिए गड्ढे को कई महीनो तक को अप्रयुक्त छोड़ने की आवश्यकता होती है।

जब एक सिगल पिट/सेप्टिक टैंक भर जाता है, तो शौचालय अवरुद्ध हो सकता है।

भरे हुए सेप्टिक टैंक से बहाव और मलीय कचरे का इधर उधर निपटान, बीमारियाँ फैलाने और पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण बनता है।

शौचालय का प्रयोग कर रहे घरों को यह नहीं पता होता कि कब कैसे मलीय कचरे को खाली करना होता है।

सेप्टिक टैंक एकल गड्ढ़ों को खाली करने वाले वैक्यूम ट्रक इसे आमतौर पर जल निकायों में या गांठ के बाहर खुले में असुरक्षित तरीके से डाल देते हैं।

FSTP के लिए स्थान की पहचान करते समय निम्नलिखित बिदुओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1. स्थान के पास पहुँचने का मार्ग होना चाहिए और पहुंचने में आसानी होनी चाहिए।
2. मलीय कचर ढोने वाले वाहनी और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
3. यह किसी जल निकाय के निकट नहीं होना चाहिए।
4. इससे उस क्षेत्र के सौन्दर्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए।
5. यह किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र के निकट नहीं होना चाहिए।
6. विकास खण्ड स्तरीय मलीय कचरा प्रबन्धन की कार्यनीति का डिजाइन, विकास, आयोजना करना।
7. मलीय कचरे के 100 प्रतिशत सुरक्षित और स्थाई उपकरण, ढुलाई, शोधन और निपटान हेतु प्रणालियों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करना। जिले में मौजूदा STPS/FSTPS की उनकी क्षमता के साथ सूची बनाने और ट्रक बैंडर्स की सूची तैयार करने की आवश्याकता है।
8. ग्रे वाटर प्रबंधन और कार्यनीति और कार्यान्वयन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।
9. गैर–सरकारी संगठनों और निजी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि सुरक्षित और स्थाई सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत या निजी संस्था द्वारा जिले में स्थापित मौजूदा सीटेज ट्रीटमेट संयंत्रों और मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्रों की संख्या, क्षमता और स्थान का आकलन अवश्य तैयार करना चाहिए।
11. मलीय कचरा निकालने वाले उपलब्ध ट्रकों की सख्या की सूची तैयार करें और उनको सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करें। क्षमताओं का निर्माण करे और उन्हें प्रमाणित करें। मौजूदा प्लांट का उपयोग करने के लिए 15–20 किमी के दायरे में गांडी ग्राम पंचायतों को मैप किया जा सकता है। दुलाई वाले ट्रक रिसाव मुक्त होने चाहिए।